बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 206926 पटना, दिनांक 28-10-2014

ग्रा0वि0-अनु0को0- 78/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
बिहार ।

विषय:- **सांसद आदर्श ग्राम योजना से संबंधित मार्गदर्शिका तथा इस योजना के तहत माननीय सांसद द्वारा चयनित ग्राम पंचायत की सूची भेजने के संबंध में, अतिरिक्त दिशा निर्देश ।**

प्रसंग:- **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक- M- 103012/20/2014- SAGY दिनांक- 22.10.2014 एवं विभागीय पत्रांक - 205973 दिनांक- 21.10.2014 ।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक- 20.10.2014 को video conference का आयोजन किया गया था जिसमें इस योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत चयन से संबंधित जानकारी प्रदान की गई । बिहार सहित अन्य राज्यों द्वारा ग्राम पंचायत के संबंध में यह प्रश्न किया गया कि दिशानिर्देश के कंडिका 9 के अनुसार 3000-5000 जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों का चयन किया जाना है, परंतु राज्य में अधिकांश पंचायते ऐसी है जिनकी जनसंख्या निर्धारित मापदंड से अधिक है, का चयन किस प्रकार किया जायेगा ?

इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत ही बुनियादी ईकाई होगी तथा ऐसे जिले जहॉ निर्धारित मापदंड के अनुसार ग्राम पंचायत उपलब्ध नहीं है वहॉ वांछनीय जनसंख्या के आस-पास वाले ग्राम पंचायत का चयन किया जा सकता है । (Gram Panchayats approximating the desirable population size may be chosen.)

अनुरोध है कि दिनांक- 30.10.2014 तक माननीय सांसदों से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों की सूची प्राप्त कर लिया जाय । इस सूची को दिनांक- 01.11.2014 से www.saanjhi.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड किया जाय एवं भारत सरकार के e-mail id- pmusaanjhi@gov.in पर मेल करते हुए विभाग को भी संसूचित किया जाय ।

अनु0- यथोक्त । **कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।**

विश्वासभाजन

(एस0एम0राजू)
सचिव 28/10/14

ज्ञापांक 206926 पटना, दिनांक 28.10.2014

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव 28/10/14

ज्ञापांक 206926 पटना, दिनांक 28.10.2014

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 28/10/14

AMS_OSD- Letter- 503

Urgent

OSD (Ash)
Please circulate to all (in DM's & DDC's at once

PO (RK)

F. No. M-13012/02/2014-SAGY
Govt. of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 22nd October, 2014

27/10/14

To

24 OCT 2014

All State RD Secretaries,

This is regarding the identification of Gram Panchayats by the Members of Parliament under **Saansad Adarsh Gram Yojana.** As you know, this exercise has to be completed latest by 10.11.2014. All Collectors/District Magistrates are required to get in touch with the Members of Parliament and seek the names as per Clause 9 of SAGY Guidelines. Such names will be uploaded in the web site **www.saanjhi.gov.in** from 1st November, 2014 onwards. However, the names of such Gram Panchayats can also be emailed at **pmusaanjhi@gov.in**

Rajendra

In the Video Conference held by Secretary(Rural Development) with the State Secretaries in-charge of Rural Development/their representatives on 20th October, some of the States sought clarification on the following points:

28.10.14

(i) The size of the Gram Panchayat to be chosen in States like Kerala, West Bengal, Assam, Bihar and Jharkhand where most of the Gram Panchayats are much larger than the suggested size.

(ii) The scheme area to be chosen in States where Gram Panchayats are not in existence.

The following clarification is hereby given:

(i) Para 9 of SAGY Guidelines makes it clear that Gram Panchayat would be the basic unit and in districts where the suggested unit size is not available, Gram Panchayats approximating the desirable population size may be chosen. Therefore, in States which have larger Panchayats, the MP can choose any of them, as Gram Panchayat is the basic unit

(ii) In the case of States which do not have Gram Panchayats, the entity deemed to be Gram Panchayat under MGNREGA, may be considered in SAGY as well.

Yours Faithfully,

(Aparajita Sarangi)

21/10/14